Cop. 22
5/9/12

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.______ of 2012.

Munna Prasad Roy .... Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others......Respondents.

Subject:- Other Miscellaneous Matter.

INDEX.

Sl.No.	Particulars.	Pages
1.	Synopsis.	i to
2.	Petition under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 13
3.	Annexure-1: A true copy of Compromise petition dated 5.4.2010.	14-18
4.	Annexure-2: Series. True copies of order dated 2.5.2010 and Decree dated 2.5.2010.	19-20
5.	Annexure-3: A true copy of the Notice and Written Statement dated 11.8.2011.	21-24
6.	Annexure-4: A true copy of the Information petition dated 24.2.2012.	25-

Sl.No.	Particulars.	Pages
7.	Annexure-5: A true copy of the Second Appeal dated 26.6.2012.	26
8.	Annexure-6: A true copy of complaint.	27 - 32
9.	Vakalatnama of the petitioner.	

-/o/-

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.______ of 2012

Munna Prasad Roy .... Petitioner

Versus

The State of Bihar and others......... Respondents.

-: **SYNOPSIS** :-

This is an application for direction to Respondent No.3 to produce the order before Hon'ble Court by which he has ordered to gige possession to Respondent No.5 of the land of Khata No.124 Khesra No.480 Area 1 Katha which belong to the petitioner and after calling for the aforesaid order and further direction to the Respondents to not enterfere with the petitioner's land.

PARA-3 There is land situated at Mauza Bhirkhi Khata No.124 Khesra No.480 Area 1 Katha.

2.8.1986 PARA-5	One Sudhir Kumar Gantuli executed registered sale deed in favour of petitioner and his father for which petitioner paid consideration money from own income.
2010 PARA-7	Title Partition Suit No.32 of 2010 was filed in the Court of Sub Judge,Madhepura for partition of land.
5.4.2010 PARA-8 Annex-1	A compromisepetition has been filed.
PARA-9	Matter came in Lok Adalat
2.5.2010 PARA-9 Ann-2 Series	Lok Adalat disposed of the matter on the basis of compromise.
PARA-10	On the basis of Judgement of Lok Adalat petitioner came in possession over aforesaid 1 Katha land.
2011 PARA-11	Respondent No.5 filed Case No.154 of 2011 before the Deputy Collector,Land Reforms,Madhepura on false ground that he has purchased aforesaid 1 Katha land and Rajesh Roy as party.
PARA-12	D.C.L.R.issued notice to Rajesh Roy.
11.8.2011 Para-12 Ann-3	Rajesh Roy appeared and filed W.S.taking plea that aforesaid land belong to thepetitioner.

PARA-13	Petitioner has no knowledge about executionof land, has no knowledge about case before D.C.L.R.
PARA-15	Petitioner was not made as party in the case before DCLR.
PARA-16	Petitioner came to know that D.C.L.R. passed order in which he directed the authority to give possession of land to Respondent No.5.
24.2.2012 PARA-17 Ann-4	Rajesh Roy filed information petition for supplying of order.
26.6.2012 PARA-19 Ann-5	Rajesh Roy filed Second Appeal before Information Commission but nothing done.
13.6.2012 PARA-20	Respondent No.5 alongwith authorities came at the land of petitioner and destroyed house articles etc.
14.6.2012 PARA-20	Petitioner filed complaint Case No.623/2012.

Hence this Writ application.

-/o/-

DEPARTMENT OF POST
BIHAR CIRCLE
COURT FEE
AUTH NO. 3185 DT. 16/12/2008
भारत INDIA
STAMP DUTY 00000
Rs 0000285
372403
Zero-Zero-Zero-Zero-Two-EightFive
बिहार JUDICIAL
4.9.2012
BIHAR
0387300

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.________of 2012.

P-1-13
A-14-32
MK 05/09/12

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of :-

Munna Prasad Roy, Son of Late Bisheshwar Roy, Resident of Madhepura, Ward No.21, Police Station and District-Madhepura.

.... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar.

2. The District Magistrate, Madhepura.

3. The Deputy Collector, Land Reforms, Madhepura.

4. The Circle Officer, Madhepura.

5. Kameshwar Prasad Singh, Son of Late Dip Narayan Singh, Resident of Village-Gahumani, Police Station Singheshwar, District-Madhepura.

.... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms.Justice Rekha M.Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the abovenamed petitioner;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for direction to the Respondent No.3 to produce the order before

this Hon'ble Court by which he has ordered to give possession to Respondent No.5 of the land of Khata No.124 Khesra No.480 Area 1 Katha situated at Mauza Bhirkahi Uttarwari in the District-Madhepura which is belong to the petitioner and after calling for the aforesaid order of Deputy Collector Land Reforms, Madhepura to quash the aforesaid order and further direction to the Respondents to not enterfere with the petitioner's land in his right, title and possession over the land and any other appropriate writ, order direction save and except in accordance with law.

2. That the petitioner is the citizen of India and lives within territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

3. That there is a land situated at Mauza Bhirkhi Uttarwari Khata No.124 Khesra No.480 Area 1 Katha.

4. That aforesaid land belong to one Sudhir

Kumar Ganguli who is permanent resident of Kolkata (West Bengal).

5. That vide registered sale Deed No.8079 dated 2.8.1986 the aforesaid Sudhir Kumar Gantuli executed aforesaid land in favour of petitioner and his father Bisheshwar Prasad Roy for which the petitioner has paid total consideration money from his own income from his business.

6. That after purchasing aforesaid land petitioner has been coming in peaceful possession over the said land.

7. That a Title Partition Suit No.32 of 2010 has been filed in the Court of learned Sub Judge, Madhepura by the petitioner against his brothers for partition of the land.

8. That a compromise petition has been filed on 5.4.2010 by the parties in which it was

consented that aforesaid land one Katha was given in the share of the petitioner.

A true copyof Compromise petition dated 5.4.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-'1' to this application.

9. That aforesaid matter has come in Lok Adalat, Madhepura. The Lok Adalat vide order dated 2.5.2010 disposed of the case on the basis of compromise and accordingly Decree was prepared.

A true copies of order dated 2.5.2010 and Decree dated 2.5.2010 are annexed herewith and marked as Annexure-'2' Series to this application.

10. That on the basis of judgement of Lok Adalat the petitioner has been coming in peaceful possession over the land.

11. That one Kameshwar Prasad Singh Respondent No.5 filed Case No.154 of 2011 before Deputy Collector Land Reforms, Madhepura on false ground that he has purchased aforesaid land of petitioner and on that basis he prayed for possession over the land and made only Rajesh Roy as party who is full brother of the petitioner.

12. That Deputy Collector Land Reforms, Madhepura issued notice to said Rajesh Roy who appeared before Deputy Collector Land Reforms, Madhepura and filed written statement denying claim of Respondent No. 5 over the land and to stated that aforesaid land has been possessed by the petitioner on basis of Mega Lok Adalat Judgement dated 2.5.2010.

A true copy of the Notice and Written statement dated 11.8.2011 is annexed here-

-with and marked as Annexure-
'3' to this application.

13. That the petitioner has no knowledge about execution of aforesaid land, have no knowledge of filing of Case No.154 of 2011 before Deputy Collector Land Reforms and he came to know from his brother Rajesh Roy.

14. That the petitioner went in the Court of Deputy Collector, Land Reforms and came to know that the aforesaid petitioner's land was purchased by Respondent No.5 from a fake person who has no right since petitioner who has no right since petitioner is the owner of the said land and he got aforesaid land through judgement of Lok Adalat.

15. That aforesaid Respondent No.5 has not made thepetitioner as party in the case, since he party Rajesh Roy who is not the owner of the land.

16. That the petitioner came to know that Deputy Collector Land Reforms, Madhepura has passed the order in the case in which he directed the concern authority to give possession of the land to Respondent No.5 but with illegal and ulterior motive d did not hand over the order to Rajesh Roy nor to the petitioner.

17. That Rajesh Roy filed information petition on 24.2.2012 before the Deputy Collector, Land Reforms, Madhepura asking to give date of passing of order and order passed by Deputy Collector Land Reforms but nothing done.

A true copy of the Information petition dated 24.2.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-'4' to this application.

18. That when no information was given then Rajesh Roy filed appeal before Sub Divisional Officer, Madhepura but nothing done.

19. That then Rajesh Roy filed second Appeal before Bihar State Information Commission, Patna requesting to give order passed by Deputy Collector, Land Reforms but nothing done.

A true copy of the Second Appeal dated 26.6.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-'5' to this application.

20. That the petitioner was coming in peaceful possession over the land then Respondent No. 5 alongwith authorities came at the land of the petitioner on 13.6.2012 and destroyed the house of the petitioner and also other articles and threatened to evict the land, then the petitioner filed complaint

Case No. 623 of 2012 before Chief Judicial Magistrate, Madhepura on 14.6.2012.

A true copy of Complaint is annexed herewith and marked as Annexure-'6' to this application.

21. That the petitioner is the owner of the aforesaid land he got aforesaid land through Lok Adalat decision with consent of the parties.

22. That Respondent No.5 is the stranger who has no right, title over the land who on the basis of forged sale deed claimed before Deputy Collector, Land Reforms the ownership over the aforesaid land.

10

23. That Respondent No.5 has not made party to the petitioner nor petitioner was heard in the case, nor petitioner was served any notice by the Deputy Collector, Land Reforms and passed impugned order.

24. That Deputy Collector Land Reforms has not given the copy of order to the Petitioner nor to Rajesh Roy nor Appellate authority has issued aforesaid order.

25. That Deputy Collector Land Reforms, Madhepura may kindly be direct2d to produce the order before this Hon'ble Court so that justice may be done.

jxxxkxexmayxbx

26. That thepetitioner has no any other alternative and efficacious remedy other than by way of this application.

27. That the petitioner has not moved earlier before Hon'ble High Court for the reliefs as prayed in Para-1 to this application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application issue Rule NISI, calling upon the

Respondents and after hearing the parties be pleased to allow this application and grant reliefs as prayed h in para-1 to this applicatioh

And/Or

Pass suchother order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

12

AFFIDAVIT.

I, Munna Prasad Roy, aged about 50 years, Son of Late Bisheshwar Roy, resident of Madhepura, Ward No.21, Police Station and District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements of facts made in Paragraph Nos.2, 3, 5 to 10, 13 to 15 and 20 to 25 are true to my knowledge and those made in Paragraph Nos.4, 11, 12 and 16 to 19 are ~~true to~~ based upon informations derived from the records of the case which I believe to be true and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.

3. That the Annexures are true/photostat copies of their respective originals.

13

35422

Solemnly affirmed before me by M. Pd. Roy who is identified by D.N. Azad A/C

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of the affidavit which has been read over & explained to him which he acknowledges to be correct.

Date 05/09/12

Advocate Oath Commissioner, PATNA HIGH COURT

Identified by the deponent D.N. Azad Adv

5/9/12

R. No 77/12

5.9.12

Annex-1

14

न्यायालय में,

श्रीमान् असैनिक न्यायाधीश

कनीय कोटि I, मधेपुरा।

दिवानी वाद सं0- 32/2010 (बँटवारा)

मुन्ना प्रसाद राय एवं अन्य --- वादीगण

बनाम

प्रमोद कुमार राय एवं अन्य --- प्रतिवादीगण

<u>दरखास्त तसफीया तरफ से फरीकैन निम्नलिखित है :</u>

1. यह कि चंद हितैषी एवं शुभचिन्तकों को वादगत् भूमि के सम्बंध में वादीगण के मुकदमें की जानकारी हुई तो उक्त हितैषी एवं शुभचिन्तकगण फरीकैन (वादीगण एवं प्रतिवादीगण) से अलग- अलग बातें कर फरीकैन को आपस में मेल- मिलाप करा दिए हैं जिस कारण फरीकैन आपस में मुकदमा लड़ना उचित नहीं समझते तथा मेल मिलाप में ही अपनी- अपनी भलाई समझते हैं।

2. यह कि इस तसफीया आवेदन के द्वारा प्रतिवादीगण यह स्वीकार करते हैं कि वादगत् भूमि वादी सं0 1 मुन्ना प्रसाद राय के द्वारा पृथक राशि से खरीदी गई किंतु व्यापारिक कार्य के कारण तथा प्रतिवादीगण के अनुपस्थिति के कारण वो भी लेख्यकारी को किसी कारणवश कलकत्ता जाने की अनिवार्यता आ जाने के कारण लेख्यकारी वादगत् भूमि का निबंधन

15

वादी सं० । मुन्ना प्रसाद राय एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व० विश्वेश्वर राय के नाम वादगत् भूमि का निबंधन दिनांक २·८·३६ ई० को विक्रय विलेख सं०- ८०७१ द्वारा करके कलकत्ता चले गए ।

३· यह कि प्रतिवादीगण वादी सं०-१ मुन्ना प्रसाद राय के इस दावे को भी सही मानते हैं कि वादगत् भूमि के पश्चिमी भाग में छत का पक्का मकान पूर्वी रूख का बरामदा सहित तथा वादगत् भूमि के पूर्वी भाग में जलावन का खपड़ा-पोश रसोई घर, शौचालय तथा स्नानागार वादी सं० १ के राशि से निर्मित है ।

४· यह कि इस तसफीया आवेदन के द्वारा प्रतिवादी गण इस तसफीया आवेदन के मद (सिडूल) नं० १ में वर्णित भूमि तथा उस पर वादी सं० १ मुन्ना प्रसाद राय के राशि से निर्मित पश्चिमी भाग के पूर्व रूख के छतदार घर मकान, बरामदा, पूर्वी भाग के शौचालय, स्नानागार तथा जलावन का खपड़ा पोश रसोई घर पर वादी सं-१ श्री मुन्ना प्रसाद राय के स्वामित्व, दखल वो भोग तसरूफ को वा ईमानदारी स्वीकार करते हैं तथा इस तसफीया आवेदन के बाद वादगत् भूमि तथा उस पर निर्मित छतदार, घर- मकान, शौचालय, स्नानागार, जलावन का रसोई घर का जरूरत के अनुसार कोई प्रतिवादी या प्रतिवा-

दीगण, वादी सं0 1 मुन्ना प्रसाद राय की लिखित या मौखिक अनुमति से ही आगे कर सकेंगे।

5. यह कि वादी सं0 1 मुन्ना प्रसाद राय यदि अपने जरूरत के लिए इस तसफीया आवेदन द्वारा प्राप्त स्वामित्व, दखल को भोग सरहक वाले भूमि तथा उस पर निर्मित घर- मकान शौचालय स्नानागार रसोई घर सहित किसी दूसरे के हाथ बेचेंगे तो प्राप्त जरसम्मन से प्रतिवादी सं0 1 प्रमोद कुमार राय प्रतिवादी सं0 3 राजेश कुमार राय एवं प्रतिवादी सं0 4 विनोद कुमार राय को अपनी इच्छा के अनुसार आर्थिक सहयोग करेंगे ताकि एक दूसरे से अलग-अलग रहने के बाद भी भाई-भाई का अटूट रिश्ता बना रहे।

6. यह कि प्रतिवादी सं0 2 रविन्द्र कुमार राय वादी सं0-1 मुन्ना प्रसाद राय द्वारा इस तसफीया आवेदन से प्राप्त वादगत् भूमि एवं उसपर बने घर मकान स्नानागार शौचालय एवं रसोई घर पर प्राप्त स्वामित्व को अपनी इच्छा से यदि बिक्री करेंगे तो प्रतिवादी सं0 2 को उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व0 विशेश्वर राय प्रतिवादी सं0 2 के चंद जरूरत के लिए दूसरे के मारफत रूपया प्राप्त किये थे, जिसका भुगतान वादी सं0 1 जानकारी होने पर

17

4

अपने पिता के मारफत उक्त रुपया वापस कर दिये हैं ।

7. यह कि वादी सं0 1 मुन्ना प्रसाद राय तसफीया आवेदन में वर्णित भूमि का जमाबंदी बिहार सरकार के राजस्व में इस तसफीया आवेदन के बाद अपने नाम से कराते हैं जो इसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होगा । क्योंकि इस तसफीया आवेदन द्वारा प्रतिवादीगण वादी सं0 1 के दावे (दखल) को सही मानते हुए तसफीया आवेदन में वर्णित भूमि का स्वामित्व वादी सं0 1 मुन्ना प्रसाद राय का स्वीकार करते हैं तथा तसफीया वाले भूमि एवं उसपर बने घर मकान, स्नानागार शौचालय रसोई घर पर भोग दखल मुन्ना प्रसाद राय का मानते हैं ।

तसफीया आवेदन वाले भूमि का विवरण जो भूमि वादी सं0 1 मुन्ना प्रसाद राय के राशि से लेख्यकारी सुधीर कुमार गांगुली के आवश्यक कार्यवश कलकत्ता जाने के कारण वादी सं0 1 एवं प्रतिवादीगण के अनुपस्थिति में वादी सं0 1 एवं प्रतिवादीगण के पिता विशेश्वर राय के नाम दस्तावेज सं0 8079 दिनांक 2.8.86 द्वारा विवश हालत में हुआ तथा जिसके पश्चिमी भाग में पूर्व रुख का छतदार पक्का मकान बरामदा सहित तथा पूर्वी भाग में स्नानागार, शौचालय, जलावन का रसोई घर खपड़ा पोश वादी सं0 1 मुन्ना प्रसाद राय के राशि से बना है तथा कोई हिस्सा पूर्णतः खाली नहीं है, तथा जिस भूमि एवं उसपर बने घर मकान इत्यादि पर सभी प्रतिवादीगण वादी सं0 1 मुन्ना प्रसाद राय का स्वामित्व स्वीकार करते हैं का विवरण

8. यह कि अपने अलावे अन्य वादीगण की ओर से बयान कर रहा हूँ।

18

९.५.१० ९.५.१० ९.५.१० ९.५.१०

९.५.१०

९.५.१०

५
९.५.१०

मद नं0-1 (सिड्यूल) नं0-1

मोजा-	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा बी0का0धूर	चौहद्दी
भिरखी उत्तरवाड़ी	124	480 पु0	0·1·0	उ0-शालीग्राम सिंह द0-सड़क पु0-रामाशीष प0-दामोदर साह

8· यह कि दरखास्त तसफीया पर फरीकैन एवं उनके-उनके विद्वान अधिवक्ता गण का हस्ताक्षर लिप्त है।

9· यह कि दरखास्त तसफीया को कोई एक प्रतिवादी न्यायालय में पुष्टि करने का अधिकार रखते हैं।

10· यह कि इस तसफीया के बाद किसी प्रकार का सरोकार फरीकैन को नहीं रहा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इस तसफीया आवेदन के आलोक में वाद का निष्पादन किया जाय तथा तसफीया आवेदन को जजमेंट एवं डिक्री का अंश तसौवर किया जाय कि हकरसी होवे।

अरजी फिदवी प्रतिवादीगण	अरजी फिदवी वादीगण
1· प्रमोद कुमार राय	1· मुन्नी यादव राय
2· रविन्द्र कुमार राय	2· प्रकाश कुमार राय
3· विनोद कुमार राय	3· प्रियंका कुमारी
4· राजेश कुमार राय	4· प्रशान्त कुमार राय

प्रतिवादीगण बैठ समझ अपना द्वारा [illegible]
Abhay Kumar
अधिवक्ता· ५।५।१०
Enr. 57/72/99

All above plaintiffs द्वारा signed before me
Sanjay Kumar Sinha
Advt.
5/5/10
अधिवक्ता·
B.N. 1797/92

COMPARED BY
[illegible]

~~[illegible] वादीगण की ओर से बयान कर रहा हूँ~~

M/s [illegible] ९.५.१०

Annex- 2 Series

Court of Civil Judge 7 (Jr Div) MPA ... C.A 3982

T.S. 32/10

Munna Pd. Rai vs Pramod Kr. Rai

② Stamp

दिनांक 07-04-10 — उपस्थित हैं। कार्यालय [illegible] पक्षकारों को निर्धारित तिथि को व्यक्तिगत रूप से लोक अदालत में उपस्थित रहने के लिए नोटिस निर्गत करें।

पीठासीन

3982 / 21-5-10 22-5-10 25-5-10 27-5-10

[illegible] notice [illegible]

02-05-10 अभिलेख मेगा लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पुकार पर उभय पक्षकारगण अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित हुए। अभिलेख पर उपलब्ध पृथक संधिपत्र पर [illegible] का अवलोकन एवं वार्ताकारों का संधि पत्र के समर्थन के आधार पर वाद मेगा लोक अदालत द्वारा निष्पादित किया जाता है। संधि-पत्र पंचाट का अंश होगा। तदनुसार पंचाट निर्गत करें।

C. 66 27-5-1

Ripakumari Adv.
सदस्य

न्यायिक पदाधिकारी

जी.डी. प्रसाद
(न्यायिक पदाधिकारी)

COMPARED BY
27-5-10
Comparing Clerk

Annex- 25 series

[illegible]

Court of Civil Judge (J.D.) I [illegible]

(Ranjana Ravi, Civil Judge I (Jr. Div.)) [illegible]

स्थायी / विशेष लोक अदालत, मधेपुरा

विधिक सेवा प्राधिकार, 1987

1. वाद संख्या 32/2010 अन्तर्गत धारा / अधिनियम के साथ
2. न्यायालय अवर न्यायाधीश [illegible]
3. वादी का नाम मुन्ना प्रसाद राय एवं अन्य

प्रति

प्रतिवादी का नाम प्रमोद कुमार राय एवं अन्य

पंचायत (बेंच) का नाम

(1) A. Pandey, Civil Judge I (Jr. Div.)

(2) [illegible]

पीठासीन पदाधिकारी

न्यायिक [illegible]

फैसले का संक्षिप्त विवरण :- अभिलेख मेगा लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पुकार पर उभय पक्ष वादकारी अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित हुए। अभिलेख पर उपलब्ध प्रस्तुत संधि पत्र पर सत्यापन का प्रतिवेदन एवं वादकारियों का संधि पत्र की स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद मेगा लोक अदालत द्वारा निष्पादित किया जाता है। संधि-पत्र पंचाट का भाग होगा। तदनुसार पंचाट निर्मित करें।

हस्ताक्षर वादी / प्रार्थी

मुन्ना प्रसाद राय

प्रकाश कुमार राय

प्रियंका कुमारी

प्रशान्त कुमार राय

नाबालिग वादी सं० (5) राकेश कुमार (6) कविता कुमारी एवं (7) ललिता कुमारी के संरक्षक के नाते वादी सं० 1 मुन्ना प्रसाद राय

मुन्ना प्रसाद राय

Bijay Kr Singh

हस्ताक्षर प्रतिवादी

प्रमोद कुमार राय

रबिन्द्र कुमार राय

बिनोद कुमार राय

राजेश कुमार राय

A.[illegible]
24.5.10

COMPARED BY

[illegible]

Comparing [illegible]

Certified to be a true copy

[illegible] 5-10

Date 7 [illegible]

.21

Annx- 3 Series वाद सं० 154/2011

154/2011

(राजस्व शाखा)

नोटिस

(बिहार भूमि विवाद निराकरण अधि०,2009 की धारा 13(2) के अंतर्गत)

वादी कामेश्वर प्रसाद सिंह, पे० - स्व० दीप नारायण सिंह, सा० - गाडुमनी।

प्रति राजेश साह, पिता - स्व० - विशेश्वर साह, सा० - मधेपुरा वार्ड नं० 21

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री /आयुक्त/ जिलाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य के जनता दरबार में वादी के द्वारा आपके विरुद्ध आवेदन दिया गया है एवं निम्न आरोप लगाए गए हैं :-

आपके विरुद्ध आरोप है, कि - आप आवेदक की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। अतः आपको आदेश दिया जाता है, कि दिनांक ... के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें। आवेदन की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त वाद में आप स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 11.8.11 समय 12 पूर्वाह्न अपराह्न बजे, सभी साक्ष्यों के साथ उपस्थित होवें एवं अपना पक्ष रखें।

आपकी अनुपस्थिति में यह समझा जाएगा कि इस वाद में आपको आपत्ति नहीं है और कार्रवाई एकपक्षीय की जाएगी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता

मधेपुरा।

2911 / 12450   2910 50 / 275   2950 50 / 480   2950 50 / 959   2991 / 10 ध्रुव

Annex- 35 series

न्यायालय,

श्रीमान् भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,

मधेपुरा।

वाद सं0- 154/2011

कामेश्वर प्र0 सिंह ----- आवेदक

बनाम

राजेश राय ----- प्रतिपक्षी

लिखित जवाब प्रतिपक्षी 1•राजेश राय पे0 स्व0 विश्वेश्वर राय सा0 वार्ड नं0 16 लक्ष्मीपुर मुहल्ला, थाना वो जिला मधेपुरा की ओर से दायर कर मा0 निवेदन निम्न प्रकार करते हैं :

1 यह कि आवेदक को इस प्रतिपक्षी के विरुद्ध वो भी गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं था वो न है।

2• यह कि प्रतिपक्षी के पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के लालन-पालन एवं पुत्रियों के विवाह के लिए अपने बड़े पुत्र मुन्ना प्रसाद राय पर निर्भर थे।

3• यह कि प्रतिपक्षी के ज्येष्ठ भाई मुन्ना प्र0 राय अपने व्यवसाय से जमा धन से मधेपुरा के एक सुधीर कुमार गांगुली से एक कठा सराजियात खरीदगी हेतु राशि जमा किए थे। किन्तु उक्त सुधीर कुमार गांगुली के आवश्यक कार्यवश कलकत्ता जाने वो भी मुन्ना प्र0 राय के व्यापारिक

व्यापारिक कार्य से बाहर रहने के कारण उक्त सुधीर कुमार गांगुली जाकर विशेश्वर राय को दिनांक 2.3.86 को निबंधित विक्रय विलेख द्वारा खाता 124 पु0, 275 नया खेसरा- 490 पु0 रकबा एक कठा बिक्री किए। किंतु उक्त भूमि पर सब दिन मुन्ना प्र0 राय के दखल में रहा।

4. यह कि उक्त भूमि का स्वामित्व मेगा लोक अदालत द्वारा मुन्ना प्र0 राय को प्राप्त है। जहाँ तक आवेदक का प्रश्न है, आवेदक किसी नाजायज आदमी द्वारा भूमि खरीदगी के पूर्व मुन्ना प्र0 राय से मिले थे तथा मेगा लोक अदालत के निर्णय की डिक्री को देखने के बाद यह बोलते हुए कि हमारे पास ताकत एवं विभिन्न गाँव के बदमाश हैं तथा पैसा खर्च कर हम खारिज करवा लेंगे। यह कहते चले गए। तथा यह कि साक्षी एक कठा भूमि खरीद किए उसकी जानकारी से प्रतिपक्षी अनभिज्ञ है क्योंकि मुन्ना प्र0 राय को एक कठा का स्वामित्व का दखल बाजाप्ता [illegible] कायम है।

5. यह कि उक्त भूमि से मुन्ना प्र0 राय के अलावे किसी भाई को मेगा लोक अदालत के निर्णय एवं पंचाट फैसला के बाद सरोकार नहीं रहा।

6 यह कि आवेदक का आरोप गलत है कि प्रतिपक्षी उन्हें

3

बेदखल करना चाहता । वास्तविकता यह है कि सरजमीन पर एक क्षण के लिए भी आवेदक दखलकार नहीं हुए । बल्कि मेगा कोक अदालत के निर्णय के बाद पूर्ण रूपेण एक कता पर मुन्ना प्र0 राय अपना पूर्ण स्वामित्व को दखल रखते हैं ।

अतः प्रतिपक्षी के विरुद्ध आवेदक का मुकदमा गलत है । तथा खारीज होने योग्य है ।

प्रार्थी प्रतिपक्षी

द्वारा

दिनांक 11.6.2011 ई0

अधिवक्ता.

Annex-4

25

प्रपत्र 'क'

सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन-प्रपत्र

आई० डी० सं०

कार्यालय प्रयोग के लिये

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी

....सह... ....

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मधेपुरा

(विभाग/कार्यालय)

1 आवेदक का नाम राजेश राम पिता स्व० विशेश्वर राम

2 पूरा पता ग्रा० मधेपुरा वार्ड नं० 21 थाना + जिला मधेपुरा

3 माँगी गई (सूचना का ब्योरा) संक्षेप में

महाशय, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता के हैसियत से बि० भू० वि० नि० अधि० 2009 के तहत आपकी अदालत में संचालित वाद सं० 154/11 कामेश्वर प्र० सिंह बनाम राजेश राम के मुकदमा में मैं विपक्षी था तथा नोटिस में निर्धारित तिथि 11.8.11 को अपने अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह व श्री मधुसूदन प्र० यादव के शक्ति पत्र द्वारा श्री विजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर युक्त जवाब भी दिया। जिसके जवाब मुकदमे के आदेश फलक तथा पारित आदेश की प्रति कि आवश्यकता है जिसके लिए निर्धारित शुल्क पूर्ववत् जमा करने को तैयार हूँ।

4 मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेकी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धामा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/ कार्यालय से सम्बन्धित है।

5 (i) मैंने 5+5 = 10 रुपया शब्दों में दस रुपये मात्र दिनांक 16.2.12 को रसीद संख्या 54C 364679 / 54C 364680 से विभाग/कार्यालय भुगतान किया है। नन जुडिशियल

(ii) मैं डिमाण्ड ड्राफ्ट भुगतान आदेश सं० .... दिनांक .... पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय .... बैंक द्वारा निर्गत फीस भुगतेय।

(iii) .... रू० का का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

(iv) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाला परिवार का हूँ मेरा फार्ड सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न हैं।

Rajesh Ram

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान ...मधेपुरा....

तिथि 24/02/2012

ई मेल का पता अगर कोई हो :

दूरभाष संख्या :

कार्यालय :

आवास :

Annex 5

2/c

द्वितीय अपील

सेवा में,

बिहार राज्य सूचना आयोग

पता: सोना सन्ना, सूचना भवन, बेली रोड, पटना

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 19 के तहत अपील

आवेदक का नाम एव पता:-

राजेश राम पिता स्व० विशेश्वर राम

मधेपुरा वार्ड नं० 21 ग्रा०+पो०+थाना+जिला- मधेपुरा

Pin- 852113

जन सूचना अधिकारी का नाम एव पता:

लोक सूचना पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता (L.R.D.C.) मधेपुरा

ग्रा०+पो०+थाना+अनुमण्डल+जिला मधेपुरा, Pin- 852113

माँगी गयी सूचना का विवरण:

भूमि सुधार उप समाहर्ता मधेपुरा के न्यायालय में संचालित वाद सं० 15/11-[illegible] [illegible] न्यायालय [illegible] में पारित आदेश [illegible] (आवेदक का [illegible]) आदेश [illegible] की प्रति निर्धारित शुल्क पर देने का अनुरोध

प्राप्त सूचना........ कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई

प्रथम अपील के तथ्य मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक............ को उपरोक्त सूचना माँगने के लिए आवेदन किया था लेकिन जन सूचना अधिकारी ने सूचना देने से मना कर दिया/आधी अधूरी सूचना उपलब्ध कराई है/गलत सूचना उपलब्ध कराई है।

मैंने इस संबंध में प्रथम अपील दिनांक 10/5/12 को दायर की थी।

प्रथम अपील अधिकारी का आदेश: प्रथम अपील के आवेदन पर भी कुछ नहीं किया गया/~~मैं प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं~~ हूँ क्योंकि- अपीलीय प्राधिकारी सह अनु० पदा० मधेपुरा द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

प्रार्थना: जन सूचना अधिकारी को मेरे आवेदन में माँगी गयी सूचना तुरंत प्रदान करने का आदेश दें। साथ ही आयोग से यह भी निवेदन है कि जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिये सिफारिश भी करें।

आयोग से निवेदन: मैं इस मामले की सुनवाई में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूँ। अतः मुझे सभी सुनवाइयों की अग्रिम सूचना अवश्य प्रदान करें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले पर फैसला सुनवाई करने के बाद ही करें।

सत्यापन: मैं सत्यापित करता हूँ कि इस अपील में प्रदान की गई सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं।

धन्यवाद सहित

नाम: Rajesh Rai

पता: S/o Late Bisheshwar Rai

Rajendra Ro... Ward No. 21

Po+PS+Dist- Madhepura

दिनांक: 25/6/12

संलग्नक

1. [illegible]
2. जन सूचना अधिकारी [illegible] कोई जवाब प्राप्त नहीं
3. प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय की प्रति नहीं प्राप्त नहीं

लोक सूचना पदा० सह भूमि सुधार उप समाहर्ता मधेपुरा

PT

अपीलीय प्राधिकारी सह अनुमंडल पदा० मधेपुरा को प्रेषित सूचना कि कोई प्रति नहीं, [illegible] है।

Annex 6

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
Authorization No. 2037
भारत STAMP DUTY 00000 बिहार JUDICIAL
INDIA BIHAR
Zero Zero Zero Zero Zero Five
8355 126

न्यायालय में,

श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

परिवाद सं0- 623 /2012

मुन्ना प्रसाद राय पिता स्व0 विशेश्वर राय

सा0 मधेपुरा वार्ड नं0 21, थाना वो जिला मधेपुरा - परिवादी

बनाम

1. कामेश्वर प्र0 सिंह पिता स्व0 दीप नारायण सिंह

2. संतोष सिंह पिता कामेश्वर प्र0 सिंह

दोनों सा0 गहुमनी, थाना सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा।

3. अभिमन्यु यादव पिता नामालुम

राजस्व कर्मचारी, मधेपुरा अंचल जिला मधेपुरा

4. अंचल अधिकारी, मधेपुरा

5. श्री हृदयनाथ दास पे0 नामालुम, सम्प्रति अंचल अधिकारी गम्हरिया में पदस्थापित तथा पूर्व में मधेपुरा अंचल अधिकारी प्रभारी थे।

6. श्री राजेश रोशन पे0 नामालुम, सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के रूप में पदस्थापित हैं।

8. श्री संजय कुमार निराला पिता नामालुम सम्प्रति अनुमण्डल दण्डा0 मधेपुरा के रूप में पदस्थापित हैं।

अलावे 7 पुलिस कर्मी तथा 50 अज्ञात बदमाश - अभियुक्तगण

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
Authorization No. 2037
भारत STAMP DUTY 00000 बिहार JUDICIAL
INDIA 374150 BIHAR
Zero Zero Zero Zero Zero Five
4983 523937
2874 326458

6

(3)

[illegible]

~~परिवार में प्राप्त था~~, जिसे परिवादी भाई- भाई के बीच विवाद होने की स्थिति में परिवादी ने श्रीमान् असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि मधेपुरा के न्यायालय में दिवानी (बँटवारा) वाद सं0 32/10 दायर किया ।

2. यह कि परिवादी के उक्त मुकदमा में प्रतिवादीगण उपस्थित हुए तथा वादी के दावे को स्वीकार करते हुए सुलहनामा आवेदन दायर किये, जिसे मेगा लोक अदालत के पंचाट फैसला द्वारा दिनांक 2.5.10 को निष्पादित किया गया ।

3. यह कि मेगा लोक अदालत के पंचाट फैसला से स्पष्ट होगा कि खाता नं0 124 खेसरा नं0 480 के पूर्ण रकबा । कठा भूमि का स्वामित्व परिवादी को प्राप्त हुआ ।

4. यह कि परिवादी के मुकदमा में कोई अन्य तीसरा उपस्थित होकर सी0 पी0 सी0 के प्रावधान के तहत अपना दावा न्यायालय में नहीं रखा ।

5. यह कि बाद पंचाट फैसला किसी व्यक्ति ने एक कामेश्वर प्र0 सिंह अभियुक्त सं0 1 को पंचाट फैसला से प्राप्त दखल और

माध्यम से मुकदमें में पैरवी भेजा तो उपस्थापक महोदय द्वारा पैरवी प्रपत्र पर लिखा गया कि आदेश हो चुका है । नियमानुसार राजेश राय उक्त आदेश को चुनौती प्रमण्डलीय आयुक्त के यहाँ करने के लिए नकल चिरकुट दिया तो न तो नकल की आपूर्ति की गई और न नकल चिरकुट को निरस्त किया ।

8· यह कि मुकदमें की नकल के लिये राजेश राय लाचार होकर सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना पदा० सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय में आवेदन किया । लेकिन जब आर०टी०आई० के तहत भी राजेश राय को नकल नहीं प्राप्त हुआ तो राजेश राय, अनु० पदा० सह अपीलीय प्राधिकार के यहाँ अपील दायर की, लेकिन निर्धारित समय गुजर जाने के बाद अपील पर कोई पत्र राजेश राय को प्राप्त नहीं हुआ ।

इसी बीच सभी अभियुक्त मिलकर एक जाल की रचना किये तथा [illegible] आश्चर्यजनक ढंग से जिस भूमि पर नाजायज तरीके से राजस्व कर्मचारी ने कामेश्वर प्र० सिंह की दखल की पुष्टि की तथा जिसे अभियुक्त सं० 5 ने मान लिया उस भूमि पर दिनांक 13·6·12 को गलत वो नाजायज मजमा बनाकर न केवल न्यायालय आदेश

महोदय,

समझौता आवेदन का अवलोकन किया।
वादी/वादिनी एवं प्रतिवादी/गण उक्त समझौता
आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं तथा उभय
पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उक्त समझौता
आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं। समझौता
आवेदन समझौता योग्य है। आदेशार्थ।

प्रस्तुत
07-01-10
सिरिश्तेदार

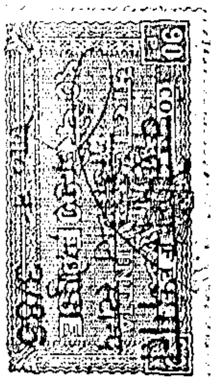

का उल्लंघन किया बल्कि लोक अदालत जैसे अदालत को फैसले की धज्जियाँ उड़ाते हुए परिवादी के शौचालय, स्नानागार लकड़ी का जलावन व रसोई घर चापाकल को नष्ट कर घर के महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया तथा पुलिस की मौजूदगी में बाहर के के लठैतों को संरक्षण देकर घर को उजाड़ा गया तथा घरेलू सामानों की क्षति पहुँचाई गई घर में रखे गये 4 हजार ईंट का भी इस्तेमाल अभियुक्त द्वारा किया गया। इस तरह लगभग 7,00000/- का माल रुपये की क्षति कर दिया गया।

1. यह कि परिवादी कानून में आस्था रखने वाला नागरिक है। इसलिए विधि व्यवस्था बिगड़ने के नाम पर पुलिस का एवं नागरिक लोगों का कोपभाजन नहीं बनना चाहा और न्यायालय में उपस्थित होकर अपने तमाम प्रमाण पत्रों के साथ यह मुकदमा दायर करता है;

विदित हो कि परिवादी जानकारी होने पर उपर के प्रशासनिक पदा० को आवेदन देकर वस्तुस्थिति को अवगत कराता रहा परन्तु कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः निवेदन है कि परिवादी के कागजातों का अवलोकन कर प्रशासन की बर्बरता पूर्ण कार्यवाही तथा प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष लूटपाट की कार्यवाही के लिये उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाय।

परिवादी

मुन्नी [illegible]

द्वारा [signature] 14/6/12

अधिवक्ता।

COMPARED BY

Comparing Clerk

स्वामित्व वाली भूमि का नाजायज तरीके से खाली जमीन कह कह कर निबंधन कर दिया जिसकी कोई जानकारी परिवादी को उस समय नहीं थी ।

6. यह कि बाद में उक्त कामेश्वर प्र० सिंह ने पंचाट फैसला द्वारा प्राप्त पट्टिदारी के दखल व स्वामित्व जिसका कोई भी अंश खाली नहीं था उस पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा के न्यायालय में भूमि सुधार अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत दखल प्राप्ती हेतु राजेश राय पर मुकदमा चलाया।

7. यह कि उक्त राजेश राय न्यायालय के नोटिस पाने के बाद निर्धारित तिथि 11.8.11 को अपने जवाब द्वारा अवगत कराया उक्त भूमि से मुन्ना प्र० राय (परिवादी) के अलावा किसी को वास्ता व सरोकार नहीं है तथा उक्त मुकदमा में अपने अधिवक्ता के माध्यम से बराबर बहस हेतु जाता था लेकिन भू० सु० उप समाहर्ता मधेपुरा अभियुक्त सं० 6 ने राजेश राय के अधिवक्ता के उपस्थित होने पर बहस नहीं सुने तथा दिनांक 4.10.11 को मुकदमा में बहस की तिथि निर्धारित की गई, जब राजेश राय अपने अधिवक्ता के

घटना को तिथि वो समय : विगत कुछ माह पूर्व से 13•6•12 तक

घटनास्थल : परिवादी का आवासीय परिसर, ग्राम- मधेपुरा वार्ड नं०-21 तथा अभियुक्तगण का कार्यालय मधेपुरा आदि के ग्राम- मधेपुरा ~~जो~~ प्रखण्ड अनुमण्डल एवं जिला अन्तर्गत है।

अन्दर धारा 323, 120 बी, 147, 447, 448, ~~458~~, ~~456~~, 468, 504 379, 380, 384, 506/34 भा०द०वि०

नाम गवाहान :

1•पिंकु कुमार पिता स्व० शिवनन्दन राय सा० वार्ड नं० 21 थाना वो जिला मधेपुरा

2•राजेश राय पिता स्व० विशेश्वर राय सा० मधेपुरा लक्ष्मी पुर मुहल्ला, थाना वो जिला मधेपुरा

3•छेदनी भृत्विदेव देवी पति स्व० विन्देश्वरी सादा सा० वार्ड नं० 21 थाना व जिला मधेपुरा

4•उमेश भगत पिता स्व० जगदीश भगत सा० मधेपुरा बिजली बोर्ड के पास

अलावे अन्य गवाहान बाद में जरूरत पड़ने पर देंगे ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि परिवादी के मेहनत मजदूरी से मधेपुरा भिरखी उत्तरवाड़ी वार्ड नं० 21 में खाता पृ० 124 खेसरा पृ० 480 की भूमि रकबा । कठा ~~धा~~ ... निर्मित है